फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

हनुमानसहाय बनाम उमराव वगै0

संख्या : प्रा.पत्र 47 / 2025

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विशेष विवरण
25.07.2025	पत्रावली प्रस्तुत। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रस्तुत तर्को एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया गया । वाद स्थाई निषेधाज्ञा का है तथा पक्षकारान के मध्य विधिवत बंटवारा भी नहीं हुआ। तथा सभी सहखातेदारान है, यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि एक सहखातेदार द्वारा दुसरे सहखातेदार को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जाना उचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थी ने यह भी साबित नहीं किया है कि अप्रार्थीगण मौका किस प्रकार मजाहमत कर रहे है अर्थात प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है, ना ही सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के तथ्य प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते है। जहाँ तीनों बिन्दुओं में से एक भी बिंदू का अभाव हो, वहाँ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तथ्य साबित ना होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:59:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर